

04.08.2023

म.प्र. राज्य द्वारा ए डी पी ओ।

आरोपी/आवेदक हरिसिंह के अधिवक्ता उपस्थित नहीं।

प्रकरण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 437 दं प्र सं पर
विचार हेतु नियत है।

मूल अभिलेख मेरे समक्ष पेश किया गया।

आवेदक/आरोपी की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित
नहीं। अतः आवेदन पत्र अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम सी आई एस में दर्ज किया जावे।

संबंधित पत्रावली मूल प्रकरण के साथ संलग्न की
जावे।

(श्रीमति विन्दिता पाठक)
ज्यासिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
विन्दिता, जिला-होशंगाबाद (म.प्र.)

मूल प्रकरण में दिनांक 11.8.23 साक्ष्य लेव-
नियत है। अतः प्रकरण 11.8.23 को फेराले।

(श्रीमति विन्दिता पाठक)
ज्यासिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
विन्दिता, जिला-होशंगाबाद (म.प्र.)